जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/59 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 7 अप्रैल 2021

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

प्रथम सुचना रिपोर्ट

1.	भूखंडो का पता	आवासीय भूखंड संख्या 3,4 दुर्गा विहार,प्रधान मार्ग,मालवीय नगर जयपुर
2.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	जे.डी.ए. की अनअप्रूव्ड कॉलोनी के भूखंडों को बिना पुनर्गठित करवाए,बिना भू-उपयोग परिवर्तित करवाए व्यवसायिक शोरूम का निर्माण
3.	बिल्डर/सम्बंधित फार्म	नामालूम
4.	सम्बंधित ज़ोन	जे.डी.ए. ज़ोन-1
5.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी	प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान
6.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेषण दिनांक	28/02/2021

जवाब मांगते सवाल?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नही रोकने वाले लोकसेवको पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियो पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे मे जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले मे 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर मे अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे है। कोर्ट के आदेशो की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जो को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियो के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नही? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी मे माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।

1. क्या भूखंड मालिकों द्वारा दोनों भूखंडों को विधिक रूप से पुनर्गठित करवा लिया गया है?
2. क्या भूखंड मालिकों द्वारा दोनों भूखंडों का भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
3. भूखंड मालिको द्वारा किसकी अनुमति से आवासीय भूखंडों पर अवैध शोरूम का का निर्माण करवाया गया है?
4. इस अवैध निर्माण के लिए जे.डी.ए. की प्रवर्तन शाखा से कितने की डील की गयी है?क्या यह सही है कि इस अवैध निर्माण पर कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए एक लाख रूपये में डील की गयी है?
5. आखिर कब जे.डी.ए. के अधिकारी इस अवैध शोरूम पर बुलडोजर चलाएंगे?
6. क्या अवैध निर्माणों के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की निति का दम भरने वाले मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी को इस अवैध शोरूम की जानकारी नहीं है?
7. यह मामला हमारे द्वारा जे.डी.ए. के आला अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बावजूद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
8. क्या जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
9. क्या इस अवैध निर्माणों के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है?क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?